2023/126

न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 06 / 2023

अपीलार्थी

1— नारायण पुत्र सुखजी नायक
आयु 78 वर्ष, निवासी 111,
इन्द्रा कॉलानी, पांच बत्ती चौराहा
के पास, रातानाडा जोधपुर।
जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1— राजेश पुत्र नारायण नायक
2— सुमित्रा पत्नी राजेश नायक
3— राकेश पुत्र जगदीश नायक
4— कंचन पत्नी राकेश नायक
निवासीगण 111, इन्द्रा
कॉलानी, पांच बत्ती चौराहा के
पास, रातानाडा जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण –पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.02.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर, दक्षिण द्वारा प्रकरण सं0 104 / 2022 नारायण बनाम राजेश व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— अपीलार्थीपक्ष उपस्थित।
2— प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 29.02.2024

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर, दक्षिण के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 सपठित धारा 23 व 24, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् अपीलार्थी की आवासीय जायदाद म.न. 111, इन्द्रा कॉलानी पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा जोधपुर से प्रत्यर्थीगण / अप्रार्थीगण से खाली कराने व प्रार्थीपक्ष को कब्जा दिलाने का प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी / अपीलार्थी को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह अप्रार्थी / प्रत्यर्थी सं0 1–2 द्वारा 5000 / — रूपये व अप्रार्थी / प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 द्वारा 2500 / — रूपये देने एवं बकाया विद्युत बिल व जल बिल का भुगतान करने व भविष्य में नियमित रूप से विद्युत व जल खर्च का भुगतान करने को आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (06 / 2023) रजिस्[illegible] कर [illegible]र्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल [illegible] प्रत्यर्थीगण के नोटिस दिनांक 06.09.. 2023 के बाद तामील बावजूद उपस्थित नहीं हुए अतः अधीनस्थ अधिकरण [illegible] अभिलेख

लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:21 IST
Reason: SelfAttested

बेटी बचाओ बेटी पढाओं।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)